रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
PUBLISHED BY AUTHORITY
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 205] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 1994/अग्रहायण 17, 1916
No. 205] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 1994/AGRAHAYANA 17, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिग्रदायगी पी.एन. 11/94

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1994

फा. सं. 600/101/94-प्र. ग्र./फा. स. 600/2608, 2706, 2708 और 2712/94-प्र. ग्र.—भारत के राजपत्र असाधारण भाग I के खंड (i) में प्रकाशित सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली 1971 (अधिसूचना सं. 52/फा. सं. 602/2/70 प्र. ग्र.) के नियम 4 के साथ पठित नियम 3 के तहत, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 31 मई, 1994 की मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिग्रदायगी पी. एन-1/94 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. उप-क्रमांक सं. 2705 के अंतर्गत निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"टिप्पणी :—यदि निर्यातकर्ता डी.ई.ई.सी. योजना के अंतर्गत मात्रा आधारित अग्रिम राशि की सुविधा का लाभ उठाता है और उसे उपर्युक्त उप क्रमांक सं. के सामने उल्लिखित निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में इस्तेमाल के लिए किसी अन्य शुल्क-मुक्त मद की बजाय केवल एक्रिलिक फाइबर के आयात की अनुमति दी जाती है, तो उसे निर्यातकर्ता को एक्रिलिक यार्न अन्तर्वस्तु की 12.30 रुपए (बारह रु. तीस पैसे मात्र) प्रति किग्रा. की दर से प्रतिअदायगी स्वीकृत की जाएगी (संपूर्ण सीमाशुल्क)।"

2. उप क्रमांक सं. 2712 के तहत आने वाली टिप्पणी के अंतर्गत टिप्पणी 5 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी शामिल की जाएगी, अर्थात् :—

(6) यदि निर्यातकर्ता शुल्क छूट योजना के अंतर्गत मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस की सुविधा का लाभ उठाता है और उपक्रमांक सं. 2708 और 2712 के अन्तर्गत आने वाले निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में इस्तेमाल के लिए उसे कोई अन्य वस्तुएं नहीं, बल्कि वूल फाइबर/एक्रिलिक फाइबर/नायलान फाइबर/पॉलिस्टर फाइबर/विस्कास फाइबर/नेचरल फाइबर को शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी जाती है, तो उस निर्यातकर्ता को निर्यात उत्पाद में ऊनी ब्लैंडिड यार्न अन्तर्वस्तु का 12.60 रु. (बारह रु. साठ पैसे) प्रति किग्रा. की दर से प्रति-अदायगी स्वीकृत की जाएगी (संपूर्ण सीमाशुल्क)।

(7) यदि निर्यातकर्ता शुल्क छूट योजना के अंतर्गत मात्रा आधारित लाइसेंस का लाभ उठाता है और उपक्रमांक सं 2608 और 2706 के अंतर्गत आने वाले निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में इस्तेमाल के लिए उसे अन्य मदें नहीं बल्कि केवल वूल फाइबर शुल्क मुक्त आयात करने की स्वीकृति होती है, तो उसे निर्यातकर्ता को ऊनी यार्न अन्तर्वस्तु का 13.00 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से प्रतिअदायगी (संपूर्ण उत्पाद शुल्क) दी जाएगी।

ए. के. मदान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

PUBLIC NOTICE NO. DRAWBACK PN-11/94

New Delhi, the 8th December, 1994

F. No. 600/101/94-DBK/F. No. 600/2608, 2706, 2708 & 2712/94-DBK.—Under Rule 3 read with Rule 4 of the Customs and Central Excise Duty Drawback Rules, 1971, (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK) published

in the Section (i) of the Part I of the Gazette of India Extraordinary, the Central Government hereby make the following amendments in the Ministry's Public Notice No. Drawback PN-1|94, dated the 31st May, 1994, as amended from time to time :

1 . Under Sub-serial No. 2705, the following Note shall be inserted, namely .—

"Note :—In case the exporter avails the facility of Quantity Based Advance under D.E.E.C. Scheme and is permitted to import acrylic fibre only and not any other item duty-free for use in the manufacture of the export product mentioned against above S. S. No., the exporter shall be allowed drawback at the rate of Rs. 12.30 (Rupees twelve and paise thirty only) per kg. of the acrylic yarn content only (All C.Ex.)."

2. Under the Notes appearing under S. S. No. 2712, after Note V the following Notes shall be inserted, namely :—

VI. In case the exporter avails the facility of Quantity Based Advanced Licence under duty exemption scheme and is permitted to import duty free wool fibre|acrylic fibre|nylon fibre|polyster fibre|viscose fibre|natural fibres and not any other items for use in the manufacture of export product falling under SS No. 2708 and 2712, the exporter shall be allowed drawback at the rate of Rs. 12.60 (Rupees twelve and paise sixty only) per kg. of woollen blended yarn content only (All C. Ex.) in the export product.

VII. In case the exporter avails the facility of Quantity Based Licence under duty exemption scheme and is permitted to import duty free wool fibre only and not any other items for use in manufacture of export product falling under SS. No. 2608 and 2706, the exporter shall be allowed drawback at the rate of Rs. 13.00 per kg. only of woollen yarn content only (All C. Ex.) in the export product.

A. K. MADAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994